



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Revision Petition No. 2/2023

Dargah Khwaja Haji Najmuddin Sahab Fatehpur

-----Petitioner

Versus

Sajjad Hussain Najmi S/o Peer Abdul Rabb Najmi

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Amit Singh Shekhawat, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Chandra Shekhar, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

23/09/2025

विपक्षी की ओर से श्री चन्द्र शेखर अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि उनके द्वारा आज ही वकालतनामा पेश किया गया है और युक्तियुक्त समय के लिए स्थगन चाहा।

विद्वान अधिवक्ता याची का निवेदन है कि विचारण न्यायालय में अल्पकालिक स्थगन देते हुए प्रकरण की सुनवाई की जा रही है, पूर्व में भी विपक्षी की ओर से एक से अधिक बार अवसर चाहे थे तथा दोनों पक्षों की सहमति से आज सुनवाई का समय 12:00 पी.एम. नियत किया गया था, मात्र विलम्ब कारित करने के लिए अधिवक्ता बदलकर स्थगन मांगा जा रहा है।

चूंकि प्रकरण के अंतिम निस्तारण हेतु आज विपक्षी सहमत नहीं है, अतः अंतरिम आदेश पर सुना गया, अभिलेख का अवलोकन किया गया।

प्रत्यर्थी क्रम-1 व 2 द्वारा वादीगण के रूप में विचारण न्यायालय के समक्ष वाद संख्या-103/2018 प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि को खसरा नंबर 35 की नगरपालिका की भूमि होना बताते हुए इसमें वादीगण, उनके रिश्तेदारों तथा आसपास के निवासियों का कब्रिस्तान होना बताते हुए घोषणा चाही।

याचीगण—प्रतिवादीगण की ओर से वर्तमान वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के पूर्वज व परिवारजनों की ओर से एक वाद संख्या—57/2009 इसी संपत्ति के संबंध में प्रस्तुत किया गया था, जो खारिज हुआ और उसकी अपीलीय न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की गई है और इस प्रकार यह वर्तमान वाद न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है, आदेश 2 नियम 2 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार व परिसीमा अवधि से बाधित है, वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है।

पूर्ववर्ती वाद संख्या—57/2009 में वादग्रस्त भूमि को दरगाह व वक्फ की संपत्ति मानते हुए तथा अन्य कारणों के आधार पर आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का आवेदन स्वीकार करते हुए पूर्ववर्ती वाद संख्या—57/2009 खारिज किया गया, जिसकी अपील भी खारिज हुई।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी—याची की आपत्ति है कि वाद विधि द्वारा वर्जित है तथा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए विचारण न्यायालय में लंबित वाद संख्या—103/2018 का विचारण आगामी आदेश तक रोके जाने का आदेश दिया जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावे।

प्रकरण छः सप्ताह पश्चात् पुनः न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J